न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. रविकुमार सुरपुर, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्याः– 55/2017

अपीलार्थी	बनाम	**प्रत्यर्थीगण**
1– हड़मानराम पुत्र जुगताराम जाति जाट निवासी ग्राम पाल तहसील व जिला जोधपुर		1– श्रीमती सरोज पत्नी राजेन्द्र चौधरी निवासी अभयगढ स्कीम, रातानाडा जोधपुर। 2– सत्यनारायण पुत्र बाबुलाल निवासी गली नम्बर 8, मिल्कमेन कॉलानी, पाल रोड़, जोधपुर। 3– श्रीमती संतोष धर्मपत्नी पपसा घांची निवासी गली नम्बर 8,मिल्कमेन कॉलानी, पाल रोड़, जोधपुर। जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 4091 दिनांक 29.06.2011 ग्राम पाल जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकार किया गया, को निरस्त किये जाने बाबत्।

– – –

उपस्थिति :– **आदेश दिनांक 16.07.2018**

1– श्री सत्यनारायण राजपुरोहित अधिवक्ता (अपीलार्थीपक्ष)
2– श्री स्वर्णसिंह अधिवक्ता (प्रत्यर्थी सं0–2,3)
3– प्रत्यर्थीपक्ष–1 इत्तला बावजूद अनुपस्थित।

:– आदेश –:

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी के पिता जुगताराम के आममुखत्यार हनुमानराम ने वाके ग्राम पाल तहसील जोधपुर के खेत खसरा 236/3 में से कृषि भूखण्ड संख्या 18 बनाप 200 वर्गगज भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 30.06.1995 को प्रत्यर्थी–एक सरोज के पक्ष में किया गया जिसका शुद्धि पत्र भरा जाकर वर्तमान में खसरा नम्बर 236/4 दर्ज किया गया तथा प्रत्यर्थी–एक ने आगे जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा प्रत्यर्थीपक्ष– 2 व 3 के पक्ष में कर दिया गया, परन्तु तहसीलदार जोधपुर ने भूल व त्रुटि से अपीलाधीन म्यूटेशन खसरा नम्बर 237 रकबा 18 बीघा में से भरा जाकर स्वीकार किया गया, जिससे

लगातार....

Scanned with CamScanner

व्यथित होकर यह अपील मीमों मय धारा 5, भा. मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र के पेश हुआ।

अपील मियाद बिन्दु शर्त के साथ दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा मूल रिकॉर्ड भी तलब किया गया। प्रत्यर्थी संख्या–2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री स्वर्णसिंह उपस्थित हुए। प्रत्यर्थी–एक श्रीमती सरोज का नोटिस तारीख पेशी 10.01.2018 पर लेने से इन्कार करने पर मौतबिरान के रूबरू आबाद मकान पर चस्पा करने की रिपोर्ट के साथ लौटा जो तामील पर्याप्त मानी गई। प्रत्यर्थी–एक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा मूल नामान्तरण प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 10.07.2018 को उपस्थित पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस गुणावगुण सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि अपीलार्थी के पिता जुगताराम के आममुखत्यार हनुमानराम ने वाके ग्राम पाल तहसील जोधपुर के खेत खसरा 236/3 में से कृषि भूखण्ड संख्या 18 बनाप 200 वर्गगज भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 30.06.1995 को प्रत्यर्थी–एक श्रीमती सरोज के पक्ष में किया गया जिसका शुद्धि पत्र भरा जाकर वर्तमान में खसरा नम्बर 236/4 दर्ज किया गया तथा प्रत्यर्थी–एक ने आगे जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा प्रत्यर्थीपक्ष 2 व 3 के पक्ष में कर दिया गया, परन्तु तहसीलदार जोधपुर ने भूल व त्रुटि से खसरा नम्बर 236/4 की भूमि के बजाय अपीलाधीन नामान्तरकरण में खसरा नम्बर 237 की भूमि में से भरा जाकर स्वीकार किया गया, जो गैर कानूनी एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। बहस में आगे बतलाया कि हाल ही में अपीलार्थी ने दिनांक 09.11.2017 को अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की, तब उक्त त्रृटि की सर्वप्रथम जानकारी हुई अतः अपील में हुई देरी को क्षमा करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकार कर अपील मियाद सुमार की जावे एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करते हुए माफिक बेचाननामा पुनः स्वीकृत करने का आदेश दिया जाय।

प्रत्यर्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों का स्वीकार किया तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त कर पुनः सुनने के लिए रिमाण्ड करने पर कोई आपत्ति नहीं की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अपील का गुणावगुण निर्णय करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र धारा 5, भा. परिसीमा अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलार्थी के कथनानुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 09.11.2017 को प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर हुई तथा उसके समर्थन में शपथ–पत्र भी पेश किया गया। प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से इन तथ्यों का कोई खण्डन नहीं किया अतः प्रार्थना–पत्र धारा 5, भा

लगातार....

Scanned with CamScanner

परिसीमा अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अपील का गुणावगुण निर्णय इस प्रकार किया जा रहा है।

अपीलार्थी का अपील में मुख्य कथन यह है कि अपीलार्थी के पिता जुगताराम के आममुखत्यार हनुमानराम ने भूखण्ड संख्या 18 बनाप 200 वर्गगज खसरा नम्बर 236/3 ग्राम पाल का रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 30.06.1995 को प्रत्यर्थी–एक श्रीमती सरोज पत्नी राजेन्द्र चौधरी के पक्ष मे किया गया जिसका शुद्धि पत्र भरा जाकर वर्तमान में खसरा नम्बर 236/4 दर्ज किया गया तथा उक्त श्रीमती सरोज ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान प्रत्यर्थी–2 सत्यनारायण एवं प्रत्यर्थी–3 श्रीमती संतोष के पक्ष कर दिया गया, परन्तु प्रत्यर्थीगण के पक्ष में अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 4091 खसरा नम्बर 236/3 की भूमि का स्वीकार न कर, खसरा नम्बर 237 की भूमि का स्वीकार किया गया जो गलत, गैर कानूनी है क्योंकि जिस भूमि का बेचान किया गया उस भूमि से संबंधित भूमि का नामान्तरकरण स्वीकार करना चाहिए। अपीलार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थीपक्ष–एक ने ग्राम पाल के खसरा नम्बर 236/3 की भूमि कें भूखण्ड संख्या–18 भूमि का आधा हिस्सा प्रत्यर्थी–2 एवं आधा हिस्सा प्रत्यर्थी–3 के पक्ष में रजिस्टर्ड बेचान किया गया तथा इस तथ्य की स्वीकारोक्ति भी प्रत्यर्थी–2, 3 की है। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करते हुए प्रकरण की पुनः सुनवाई के लिए तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित किया जाता है। तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए 2 माह के भीतर प्रकरण का निस्तारण करें। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति मय मूल नामान्तरण तहसीलदार जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

Scanned with CamScanner